कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

क्रमांक : 95/स्था/2021 दिनांक : 25.2.21

:: **विज्ञप्ति** ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164ए में किये गये संशोधन की अधिसूचना क्रमांक एफ12(6)वित्त/नियम/2009 दिनांक 01/12/2015 व राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक : एफ.17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08/02/2018 एवं राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.10(31)/न्याय/2018 दिनांक 06.03.2020 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक : G/I/A-4(i)(a)48/17/2578-79 दिनांक 19/03/2020 के अनुक्रम में इस न्यायक्षेत्र में वाहन चालक के एक रिक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए, जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवाऐं लिये जाने हेतु न्याय विभाग/राज्य सरकार के समस्त विभागों के इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिकों से जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो को दिनांक 31/03/2021 तक की अवधि के लिये अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक के लिए अधिमान्य ढंग से प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप, विभागाध्यक्ष के प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजात सहित दिनांक **03/03/2021 को सायं 05:00 बजे तक** इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किये जाते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के तहत देय होगा। कर्मचारी का चयन उक्त वर्णित प्राथमिकता के क्रम में किया जायेगा।

अन्य कोई जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में आकर प्राप्त की जा सकती है।

Sd/-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा

क्रमांक 3099 दिनांक : 25/2/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. माननीय रजिस्ट्रार जनरल (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ...
4. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को समस्त विभागों (राज्य सरकार) में सूचित करते हेतु।
5. भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों/अधिकरणों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु न्यायालय ....
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, भीलवाड़ा को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, भीलवाड़ा को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड अदालत हाजा।
9. स्थापनानुभाग, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

।। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा, पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप।।

01.	सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम	:	....
02.	पिता/पति का नाम	:	....
03.	जन्मतिथि	:	....
04.	पता	:	....
05.	आयु (दिनांक 01.02.2021 को)	:	...............वर्ष ....माह ....दिन
06.	अर्हताएं	:	....
07.	मूल विभाग का नाम	:	....
08.	सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद	:	....
09.	अनुभव	:	....
10.	सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी सलंग्न है)	:	....
11.	मूल पेंशन राशि (पीपीओ प्रति संलग्न है)	:	....
12.	धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय)	:	....
13.	विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (सलंग्नानुसार है)	:	....

<u>सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध</u>

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राज्य सरकार से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्त के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :
दिनांक :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

:: <u>विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र</u> ::

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 01 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी .... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व .... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती .... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती .... रू. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती ....अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती .... के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील